FIRST AID PARAMEDICAL COUNCIL OF INDIA, DELHI

रूरल टेलीमेडिसिन ई–क्लीनिक एण्ड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर हेतु निर्देश पुस्तिका

कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत (ग्रामीण क्षेत्र)

अधिक जानकारी के लिए Whatsapp मैसेज करे –+918448485502

New Add: H-6/219,Aggarwal Plaza, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110034

Add: F-52, Vardhaman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi, 110054

Email: firstaidparamedicalcouncil@gmail.com Website: www.firstaidparamedicalcouncil.com

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचारक /टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक चिकित्सक सहायक की आवश्यकता क्यों है?

भारत एक विशाल विकासशील देश है, राष्ट्र के निर्माण में कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती है। जिसमें स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है । किन्तु शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की समुचित व्यवस्था नही होने के कारण आम लोगो को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख रूप से - मलेरिया, टायफाइड, डायरिया, डिसेन्ट्री, हैजा, पीलिया, निमोनिया, टी. बी., चेचक, फाइलेरिया, पोलियों, गलसुआँ, एनीमिया, मधुमेह, ब्लड प्रेशर (रक्त चाप), सर्दी जुकाम, मौसमी बुखार, कुपोषण, फोड़ा - फुन्सी, घाव - चोट, जलना, सड़क दुर्घटना, पानी में डुबना, सर्प दंश, कुत्ते एवं अन्य जानवर के काटने से होने वाली बीमारी जैसे रेबीज आदि, किशोरावस्था में होने वाली समस्या, वृद्धावस्था की बीमारियाँ, गर्भावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्या, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को होने वाली बीमारियाँ, जनन रोग, मानसिक रोग, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नशा जनित रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आदि बीमारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक परामर्शदाता की सुविधा नही होने के कारण सही समय पर कुशल स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा उपचार नही मिलने पर सामान्य रोग भी गम्भीर रोग (लाइलाज) अथवा जानलेवा साबित हो रहे हैं। किसी भी बीमारी अथवा दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी अचानक से बीमार तथा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उसकी तकलीफों व होने वाली शारीरिक क्षतियों को कम करके उसकी जान को बचाया जा सकता है। फर्स्ट ऐड पैरामेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया (दिल्ली) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक से बीमार एंव दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट ऐड) देने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन (दूर-चिकित्सा) पद्धति के माध्यम से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिश्नर पंजीकृत चिकित्सक (RMP) से उचित माध्यम (फोन कॉल, मैसेज, विडियो कॉल) से परा मर्श लेकर स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज करने हेतु प्रशिक्षित डिप्लोमा धारक (Nursing, ANM, Allied Health Professional) इच्छुक लोगो के माध्यम से Rural Telemedicine E-Clinic And First Aid Provider Centre के संचालन हेतु पंजीकृत किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जा सके ।

"आइये हम सब मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देकर <u>स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें</u>"

2. प्राथमिक उपचार क्या है?

"प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या अचानक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) कहते है", इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है की चोटग्रस्त/अचानक से बीमार व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो ।

3. टेलीमेडिसिन (दूर-चिकित्सा पद्धति) क्या है?

भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगो के इलाज कराने हेतु पंजीकृत चिकित्सक (RMP) का जरूरत की अपेक्षा कम उपलब्ध होने के कारण होने वाली कठिनाइयों एवं शहरी अस्पतालों में बढ़ती भीड़ से उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए मार्च 2020 में टेलीमेडिसिन (दूर चिकित्सा) पद्धति के माध्यम से पंजीकृत चिकित्सक (RMP) को सम्पूर्ण भारत में (दूर चिकित्सा) (फोन कॉल, मैसेज, विडियो कॉल) के माध्यम से केयर गिवर/हेल्थ वर्कर चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) के सहयोग से इलाज करने हेतु कानूनी मान्यता दी गयी **UNDER THE GUIDELINES OF THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (PROFESSIONAL CONDUCT, ETIQUETTE AND ETHICS) REGULATION 2020 (TELEMEDICINE), PASSED BY THE GOVT. OF INDIA** जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर सही इलाज के अभाव में होने वाली आकस्मिक मृत्यु दर, शारीरिक तकलीफों एवं क्षतियों को कम करते हुए शहरी अस्पतालों में होने वाली भीड़ को कम किया जा सके एवं बच्चे, वृद्ध व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओ को परिवहन के कारण होने वाली असुविधा से बचाया जा सके |

4. टेलीमेडिसिन को भारत सरकार द्वारा दी गई कानूनी मान्यता के बारे में :

भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (Indian Medical Council) 1956 के अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए Indian Medical Council (Professional Counduct, Etiquette, and Ethics) Regulations, 2002 भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (व्यवसायिक आचरण शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली 2002 में 25 मार्च 2020 को संशोधित करने के लिए नए अधिनियम बनाये, जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यवसायिक, आचरण शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावलि 2020 Indian Medical Council (Professional Counduct, Etiquette and Ethics Regulations, 2020) कहाँ जाता है जिसके द्वारा भारत में टेलीमेडिसिन को क़ानूनी मान्यता प्रदान की गयी । जिसके अंतर्गत Nursing, Allied Health Professional, Mid-Level Health Practitioner, ANM or any other Health Worker जो अधिकृत किया गया हो Registered Medical Practitioner पंजीकृत चिकित्सक (RMP) के चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) के पद पर कार्य करते हुए ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रो में ग्रामीण टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य कल्याण (ई-क्लिनिक) केंद्र का संचालन कर सकते हैं।

5. प्राथमिक उपचारक/ रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक प्रभारी चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) किसे कहते है?

अचानक से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्राण की रक्षा, बिगड़ती स्थिति को रोकने व होने वाली जटिलताओ, परेशानियों को कम करने के लिए ऐसा प्रशिक्षित व्यक्ति जो तब तक प्राथमिक उपचार दे सकें जब तक उक्त व्यक्ति का इलाज किसी भी प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा प्रारम्भ न हो जाएं ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक उपचारक कहते है, तथा आवश्यकता पड़ने पर पंजीकृत चिकित्सक (RMP) से उचित माध्यम (फोन कॉल, मैसेज, विडियो कॉल) से परामर्श लेकर उसके द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुसार इलाज करने वाले व्यक्ति को रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक प्रभारी चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) कहते हैं।

6. प्राथमिक उपचारक / चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) का कार्यक्षेत्र एवं पहचान :

- कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत (ग्रामीण क्षेत्र)
- कार्य अवधि - पांच साल पर नवीनीकरण होगा |
- यूनिफार्म- सफ़ेद एप्रेन मोनोग्राम सहित
- फ्लैक्स बोर्ड- Rural Telemedicine E-Clinic And First Aid Provider Centre

7. प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) की भूमिका :

- किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति की अवरुद्ध श्वसन नली को प्राथमिक उपचार देकर प्राण रक्षा करना |
- किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति के हो रहे रक्तस्राव को प्राथमिक उपचार देकर रक्त स्राव को रोकना|
- किसी भी घायल व्यक्ति की असामान्य श्वसन क्रिया को प्राथमिक उपचार के माध्यम से सामान्य करके प्राण रक्षा करना
- किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अथवा अचानक बीमार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उसकी तकलीफों व शारीरिक क्षतियों को और अधिक होने से रोकना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी एवं गैर-संचारी रोग जैसे- मलेरिया, टायफायड, डायरिया, कालरा, डिसेंट्री, हैजा, निमोनिया, टी0बी0, इंफ्लुन्जा, चेचक, खसरा, कोविड-19, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि सामान्य एंव मौसमी बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर उपचार करके इन्हे महामारी के रूप में फैलने से रोकना ।

जीवन रक्षक दवाईयां

- समाज में मानव स्वास्थ्य के प्रति व्याप्त विभिन्न भ्रान्तियाँ जैसे- रक्तदान, नेत्रदान, परिवार नियोजन, स्तनपान, कुष्ठ रोग, टीकाकरण, पल्सपोलियों आदि के प्रति लोगों को प्राथमिक स्तर पर उचित परामर्श देकर भ्रांतियों को कम करने हेतु कार्य करना |
- ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओ के प्रति आमजन को जागरूक करना व उसके लाभ को जरुरतमंदो तक पहुँचाने के लिए प्रयास करना जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकें।
- किसी घायल या पीड़ित व्यक्ति को यदि चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्त स्राव को रोकना। अगर घायल व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करना ।
- अगर कोई हड्डी टूट गयी है तो उसे सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करना तथा घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सालय में भेजने का प्रबन्ध करना ।
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तब तक अकेला नही छोड़ना जब तक पीड़ित व्यक्ति का इलाज किसी प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा शुरु न कर दिया जायें।
- आवश्यकता पड़ने पर पंजीकृत चिकित्सक (RMP) से उचित माध्यम (फोन कॉल, मैसेज, विडियो कॉल) से परामर्श लेकर उसके द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुसार इलाज करना |

8. चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) और पंजीकृत चिकित्सक (RMP) के बीच टेलीमेडिसिन परामर्श हेतु कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश :

- स्वास्थ्य कर्मी के निर्णय के अनुसार चिकित्सक (RMP) के साथ टेलीपरामर्श आवश्यक है ।
- स्वास्थ्य कर्मी को मरीज की सहमती प्राप्त करनी चाहिये ।
- स्वास्थ्य कर्मी को टेलीमेडिसिन परामर्श के संभावित इस्तेमाल और सेवाएं स्पष्ट करनी चाहिए ।

- उसे मरीज का नाम, आयु, पता, ईमेल आई डी फ़ोन नंबर या अन्य कोई पहचान पूछ कर मरीज की पहचान की पुष्टि करनी चाहिए ।
- स्वास्थ्य कर्मी टेलीमेडिसिन परामर्श प्रारम्भ करता है और उसे सुविधाजनक बनाएगा ।
- इमरजेंसी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक को मरीज की आन्तरिक चिकित्सीय स्थिति के बारे में तुरंत सूचित करेगा और यदि चिकित्सक के अनुसार इमरजेंसी की स्थिति है तो मरीज को तत्काल देखभाल की आवश्यकता है तो मरीज को तत्काल राहत के लिए प्राथमिक उपचार देकर कही और रेफेर किया जाना चाहिए । यदि इमरजेंसी नहीं हो तो
- स्वास्थ्यकर्मी द्वारा चिकित्सक को मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं का एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक मरीज से कोई और जानकारी ले सकता है ।
- स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक को उसके चिकित्सीय निर्णय के लिए अपेक्षित मरीज की हिस्ट्री, जाँच रिपोर्ट्स एवं अन्य आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा जिससे चिकित्सक अपने उचित विवेक के अनुसार परामर्श देगा |
- यदि चिकित्सक को लगता है की उपलब्ध करायी गयी सूचना अपर्याप्त है तो वह अन्य जानकारी के लिए कुछ लैब टेस्ट या अन्य कोई भी जाँच कराने के लिए मरीज को स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से परामर्श दे सकता है ।
- एक बार चिकित्सक को मरीज के बारे में सम्पूर्ण जानकारी की संतुष्टि हो जाती है और चिकित्सक को लगता है कि मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिये परामर्श दिया जा सकता है तो वह मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिये परामर्श दे सकता है । स्वास्थ्य कर्मी को अपने रिकॉर्ड में इसका उल्लेख करना चाहिए ।

- चिकित्सक अपने सर्वोत्तम निर्णयों के अनुसार :-
  (i) मरीज को स्वास्थ्य शिक्षा / सलाह दे सकता है।
  (ii) कोई भी नई जाँच जो अगले परामर्श के लिए आवश्यक है के लिए सलाह दे सकता है ।
  (iii) दवाईयां लिख / प्रेसक्राइब कर सकता है ।

9. आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी की भूमिका :

आपात काल या इमरजेंसी के सभी मामलों में स्वास्थ्यकर्मी को चिकित्सक से तत्काल राहत या प्राथमिक उपचार के उपाय प्राप्त कर चिकित्सक द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार प्राथमिक उपचार /तत्काल राहत उपलब्ध करा कर समुचित देखभाल के लिए कही और रेफेर करवा देना चाहिए । स्वास्थ्य कर्मी यह सुनिश्चित करेगा कि मरीज को जल्द से जल्द किसी चिकित्सक के साथ व्यक्तिगत रूप से परामर्श की सलाह दी गयी हो । ऐसे मरीजों के लिए जिनका उचित प्रबन्धन टेलीमेडिसिन के जरिये किया जा सकता है । स्वास्थ्य कर्मी निम्न भूमिका निभाएंगे :-

- चिकित्सक (RMP) द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वास्थ्य शिक्षा/परामर्श को लागू करवाना |
- चिकित्सक द्वारा प्रेसक्राइब की गयी दवाइयां उपलब्ध करवाना और उसके इलाज के लिए मरीज को उचित सलाह देना ।

साइन बोर्ड का मॉडल

Reg No. : .....

रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक

UNDER THE GUIDELINES OF THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (PROFESSIONAL CONDUCT, ETIQUETTE AND ETHICS) REGULATION 2020 (TELEMEDICINE), PASSED BY THE GOVT. OF INDIA]

एण्ड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर

यहाँ पर अचानक से बीमार तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार एवं आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन (दूर-चिकित्सा पद्धति) के माध्यम से पंजीकृत चिकित्सक (RMP) के द्वारा चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) के सहयोग से इलाज किया जाता है|

ग्रामीण टेलीमेडिसिन (ई–क्लीनिक) एण्ड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेण्टर में उपयोग किये जाने वाले उपकरण एवं अन्य उपयोगी सामग्री

स्टेथो स्कोप		वेट मशीन	
ब्लड प्रेशर मशीन		बैंडेज	
पल्स ऑक्सीमीटर		हैंड ग्लव्स	
थर्मा मीटर		मास्क	
लम्बाई नापने की मशीन		फिनाइल	
ग्लुको मीटर	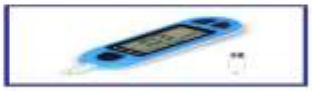	डेटॉल	
प्राण रक्षक दवाइयाँ		नेबुलाइजर	
परिक्षण टेबल		कैनुला	
बेड		सिरिंज	
व्हील चेयर		पेन लाइट	

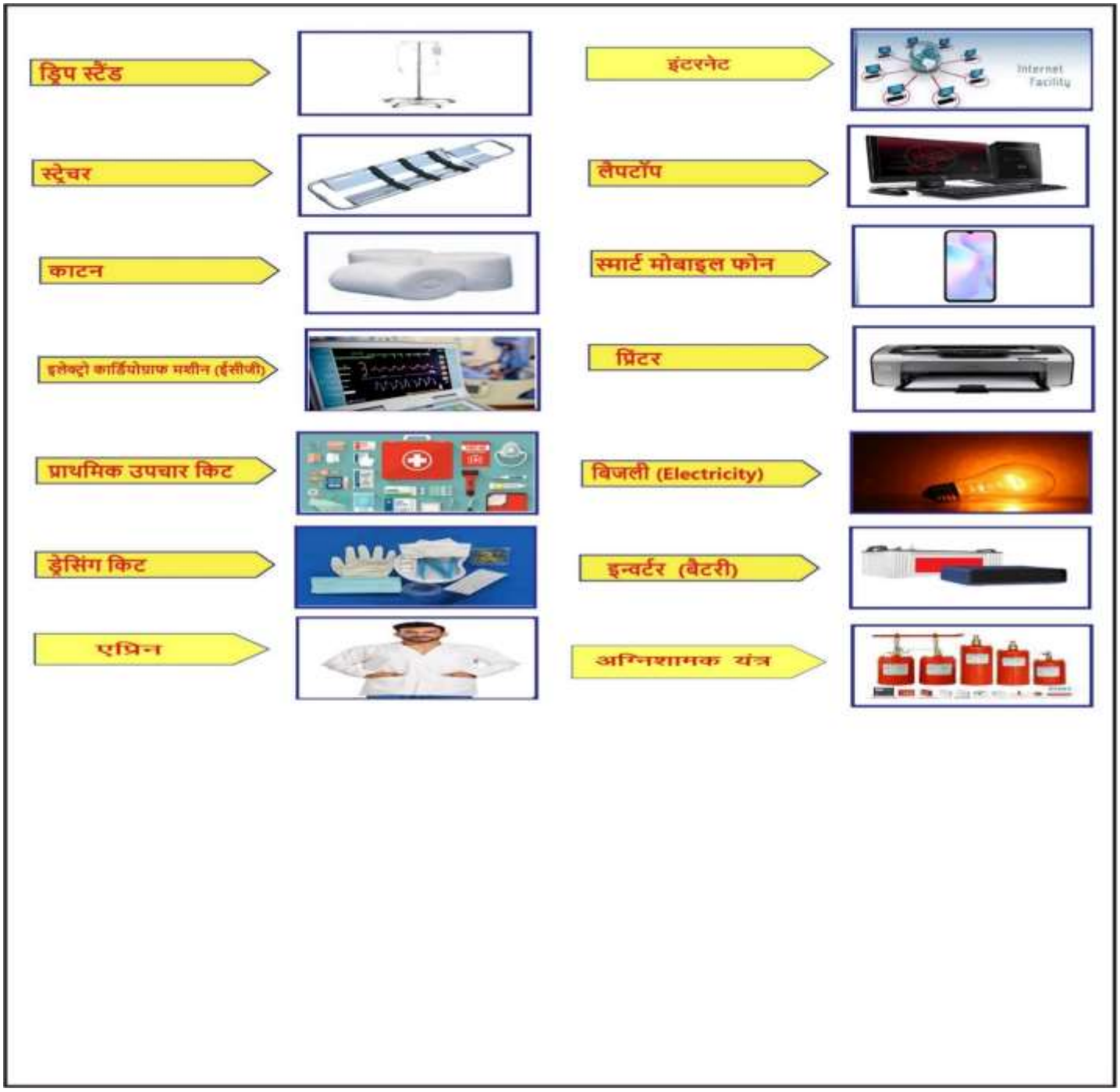

10. ग्रामीण प्राथमिक उपचारक के सिद्धांतः

- ए. बी. सी. नियम का पालन करना ।
- प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारक को अपने कार्यक्षेत्र में उपचारक की ड्रेस में रहना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोग उपचारक की सहायता ले सकें ।
- एक प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारक को अपना मोबाईल न० आम लोगो को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें मदद के लिए बुलाया जा सकें ।
- प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारक को सदैव अपने फर्स्ट ऐड बॉक्स की आवश्यक सामग्री एवं जीवन रक्षक दवाइयां तैयार रखना चाहिए ताकि वह किसी भी आपात समय में पीड़ित का प्राथमिक उपचार जल्द से जल्द प्रारम्भ कर सकें ।

- प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारक का अपने कार्यक्षेत्र विशेष में अपना सुनिश्चित स्थान होना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोग आसानी से प्राथमिक उपचार हेतु सहायता ले सकें ।
- किसी भी प्राथमिक उपचारक को अपनी सेवाएँ शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी चाहिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओ की कमी हमेशा बनी रहती है।
- किसी भी अचानक बीमार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना एंव आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा इलाज कराने हेतु उचित परामर्श देना ।
- मानव स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर निदान करना एंव आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा इलाज कराने हेतु उचित परामर्श देना ।
- प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) को स्वयं द्वारा स्थापित प्राथमिक उपचार एवं टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक पर रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक एण्ड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर का फ्लैक्स बोर्ड मो. न० के साथ लगवाना चाहिए|

11. सावधानियां:

- प्राथमिक उपचारक को प्राथमिक चिकित्सा देते समय स्वंय को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने हेतु बचाव सामग्री जैसे- दस्ताने, मास्क, आदि का इस्तेमाल करना चाहिए ।
- प्राथमिक उपचारक को प्राथमिक उपचार देते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसे या पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार का संक्रमण न होने पायें ।
- प्राथमिक उपचारक को प्राथमिक उपचार देने के बाद अपने शरीर के उस अंग को भलीभांति साबुन अथवा एंटीबायोटिक लोशन आदि से साफ करना चाहिए जिस अंग पर पीड़ित व्यक्ति का रक्त, मल, पेशाब आदि लगा हो ।

12. चेतावनी:

- एक प्राथमिक उपचारक को स्वंय को कभी प्रशिक्षित चिकित्सक नही समझना चाहिए।
- प्राथमिक उपचारक को किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्ति को मृत घोषित नही करना चाहिए क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- यदि एक प्राथमिक उपचारक को पीड़ित व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्या का सही आंकलन करने के बाद ही उसका प्राथमिक उपचार शुरु करना चाहिए ।
- यदि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति आप की कार्यक्षमता के बाहर है तो आप उक्त पीड़ित व्यक्ति पर अनावश्यक समय बर्बाद न करें उसे नजदीकी चिकित्सालय केन्द्र पर भेजने का प्रबन्ध करें ।

13. प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) द्वारा टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक पर किए जाने वाले प्रमुख कार्य -

1. अचानक से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्राण रक्षा, बिगड़ती स्थिति को रोकने व होने वाली जटिलताओं परेशानियों को कम करने के लिए ऐसा केन्द्र जो ग्रामीण क्षेत्र में हो एवं प्रशिक्षित चिकित्सक (RMP) द्वारा केन्द्र प्रभारी/चिकित्सक सहायक (Nursing, ANM, Allied Health Professional) के सहयोग से (फोन काल, मैसेज, विडियो काल के माध्यम से) इलाज किया जाता है।

2. आम जन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज कराने के बारे में प्रोत्साहित करना|
3. भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों में स्थानीय स्तर पर सहयोग करना |
4. सरकार द्वारा संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज करा रहे मरीजो का यथाउचित सहयोग करना|
5. किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने पर C.P.R. देकर उसकी जान बचाने हेतु प्रयास करना |
6. किसी भी आपात स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का **A.B.C**. नियम का पालन करते हुए प्राण की रक्षा करना
7. ग्रामीण क्षेत्रों में संचारी एवं गैर-संचारी रोग जैसे- मलेरिया, टायफायड, डायरिया, डिसेंट्री, हैजा, निमोनिया, टी0बी0, इंफ्लुन्जा, चेचक, खसरा, कोविड-19, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि सामान्य एंव मौसमी बीमारियों का प्राथमिक स्तर पर पहचान कर उपचार कराना तथा महामारी के रूप में फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाकर आमजन को जागरूक करना।

14. रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक एंड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:-

(i) आपके द्वारा जमा कराए गए शपथ पत्र में उल्लिखित कथनों को सत्य मानते हुए आपको काउंसिल में पंजीकृत किया जा रहा है। किसी भी कथन या जमा किये गए दस्तावेजों को असत्य पाए जाने पर काउंसिल से आपकी सदस्यता निरस्त कर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

(ii) आप जब तक काउंसिल के सदस्य रहेंगे तब तक काउंसिल द्वारा दिए गए लिखित / मौखिक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा |

(iii) आप फर्स्ट ऐड पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार है रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक एंड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर का संचालन करेंगे उसके के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करते है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे काउंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । आप रूरल टेलीमेडिसिन ई-क्लिनिक एंड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर में प्राथमिक उपचारक/चिकित्सा सहायक (केंद्र प्रभारी) के रूप में ही कार्य करेंगे |

(iv) आप ग्रामीण प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) का कार्य स्वयं की जिम्मेदारी पर करेंगे एवं अपने द्वारा किये गए किसी भी कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, First Aid Paramedical Council of India की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(v) आप काउंसिल के कर्मचारी नहीं है तथा आप काउंसिल द्वारा कभी यात्रा भत्ता, मानदेय वेतन आदि के लिए दावा नहीं कर सकेंगे।

(vi) आपके द्वारा किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध कृत्य किये जाने पर काउंसिल को पूरा अधिकार होगा की काउंसिल आपका पंजीयन निरस्त करते हुए आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें।

(vii) आपके द्वारा आपके क्षेत्र में लागू नियमो व कानूनों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जायेगा । Rural Telemedicine E-Clinic And First Aid Provider Centre का संचालन करते हुए आपके द्वारा भारतीय कानून या IMC Act का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे |

(viii) प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) अपनी पहचान प्रशिक्षित चिकित्सक के रूप में न रखकर प्रशिक्षित ग्रामीण प्राथमिक उपचारक/ चिकित्सक सहायक (ई-क्लिनिक) के रूप में ही रखेगा |

निर्देशानुसार सचिव

फर्स्ट ऐड पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया,

दिल्ली

रूरल टेलीमेडिसिन ई–क्लीनिक एण्ड फर्स्ट ऐड प्रोवाइडर सेंटर

FIRST AID PARAMEDICAL COUNCIL OF INDIA

FIRST AID PARAMEDICAL COUNCIL OF INDIA, DELHI

New Add: H-6/219,Aggarwal Plaza, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110034

Add: F-52, Vardhaman Central Mall, Nehru Vihar, Mukherjee Nagar, Delhi, 110054

Email: firstaidparamedicalcouncil@gmail.com Website: www.firstaidparamedical.com